फर्द अहकाम

अज अदालत संभागीय आयुक्त जोधपुर

अर्जुनराम पुत्र रूपाराम वगैराह बनाम मेतोदेवी पत्नी सताराम वगैराह

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 90–क राज0 भू राजस्व अधिनियम, अपील संख्या 965/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.09.2025	पत्रावली अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 10.09.2025 को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र बाबत अपील जरिये विड्रो करने, पर निर्णय हेतु रखी हुई थी, जो आज पेश हुई। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलान्टस् एवं रेस्पो0 संख्या 1, 2, 4 के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 10.09.2025 को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र बाबत अपील जरिये विड्रो करने, का पेश करते हुए यह कथन किया गया कि अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय के समक्ष गलत रूप से प्रस्तुत कर दी है, इस कारण से उक्त अपील को अपीलान्ट चलाना नहीं चाहता है, अतः उक्त अपील को जरिये विड्रो निर्णित की जावें। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का बगौर अवलोकन किया गया उसमें अंकित तथ्यो पर गहनता से मनन, चिन्तन किया गया। अपीलान्ट यह अपील आगे नहीं चलाना चाहता है। ऐसे में अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.09.2025 को लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर अपील के गुणावगुण पर विचार किये बिना इस अपील को और विचाराधीन नहीं रखते हुए इसी स्तर पर निस्तारण करते हुए अपील जरिये विड्रोल खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड लौटाया जावे। सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर	